उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग

"मानव अधिकार भवन", टीसी 34 वी-1, विभूति
गोमती नगर, लखनऊ

केस नं. :1585(80)/2024-2025/REP

नोटिस

दिनांक :10/09/2024

सेवा में,

श्री किशन चन्द जैन (अधिवक्ता) पुत्र स्व0 कैलाश चन्द जैन
नि0- 22/156, मोतीलाल नेहरू रोड
जिला- आगरा

अवगत कराना है कि आपसे प्राप्त शिकायती-पत्र/सूचना के माध्यम से आयोग के संज्ञान में आये मामले पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 03/09/2024 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं :

"आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

2. अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया इस मामले में आयोग के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में : *वांछित सूचना/रिपोर्ट दिनांक* 08/10/2024 *तक उपलब्ध करायें।*

3. विदित हो कि आयोग के उपरोक्त आदेश की अपेक्षानुरूप कार्यवाही न किये जाने की स्थिति में आयोग द्वारा विचारोपरान्त यथोचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज्ञा से ,

विधि अधि0/लिंक
(विधि अधिकारी/लिंक अधिकारी)

उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग, लखनऊ

*****

केस सं0 : 1585 (80)/2024–2025/

दिनांक : 03.09.2024

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव लोचन मेहरोत्रा
सदस्य

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत। पत्रावली का परिशीलन किया गया।

आयोग के पारित आदेश दिनांक 07.08.2024 के अनुपालन में अपर मुख्य कार्यपालक, यूपीडा, लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 03.09.2024 के माध्यम से प्रश्नगत प्रकरण में अपनी बिन्दुवार आख्या प्रस्तुत की गयी है। जांच आख्या का आयोग द्वारा अवलोकन किया गया।

आवेदक श्री किशन चन्द्र जैन (अधिवक्ता) को जांच आख्या की एक प्रतिलिपि इस निर्देश के साथ भेज दी जाये कि यदि वह कोई आपत्ति आख्या के विरूद्ध दाखिल करना चाहते हैं, तो दिनांक 08.10.2024 समय 01:00 पी0एम0 पर आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक के माध्यम से प्रस्तुत करें।

पत्रावली नियत तिथि 08.10.2024 समय 01:00 पी0एम0 पर आयोग के समक्ष पुनः पेश हो।

(सदस्य)
(03.09.2024)

(BH) (48)

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज़ औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226 010
0522–2307642 / 2307592, फैक्स– 0522–4013560
E-mail-upeida2@gmail.com https://www.upeida.in

पत्रांकः– 3224 /2863/2023/यूपीडा दिनांकः 3 सितम्बर, 2024

03 SEP 2024 प्राप्त

सेवा में,

विधि अधिकारी/लिंक अधिकारी,
उ0प्र0 मानव अधिकार आयोग,
"मानव अधिकार भवन" टीसी–34वी–1
विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।

विषय– आवेदक श्री किशनचन्द्र जैन (अधिवक्ता) पुत्र स्व0 कैलाश चन्द्र जैन के शिकायती प्रार्थना पत्र पर विन्दुवार टिप्पणी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया केस नं0–1585(80)/2024–2025/REP दिनांकित 08.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो आवेदक श्री किशनचन्द्र जैन (अधिवक्ता) पुत्र स्व0 कैलाश चन्द्र जैन के शिकायती प्रार्थना पत्र पर मा0 आयोग द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आवेदक के प्रार्थना पत्र में अंकित विन्दुओं पर वांछित सूचना/रिर्पोट उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

बिन्दु संख्या 01– इस विन्दु में आवेदक द्वारा यमुना एवं आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे का उल्लेख किया गया है, के संबंध में अवगत कराना है कि यमुना एक्सप्रेस–वे का पर्यवेक्षण यूपीडा द्वारा नही किया जाता है। अतएव यमुना एक्सप्रेस–वे से संबंधित प्रकरण पर इस स्तर से किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे पर घटित घटना के संबंध में उल्लेखनीय है कि एक्सप्रेस–वे पर समस्त यूजर्स का पूर्ण सम्मान किया जाता है और उनके सम्मान को ही देखते हुए यूपीडा द्वारा यूजर्स की सहायता के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि शीतकालीन रात्रि के समय घना कोहरा होने के कारण रोड पर दृष्यता काफी कम होने के कारण जब कार्यदायी संस्था RGBEL का पेट्रोलिंग वाहन गश्त कर रहा था तो उसे निकट जाने पर एक शव दिखाई दिया तो उसने नजदीक जाकर देखा तो उक्त शव किसी महिला का था जिस पर उक्त कार्यदायी संस्था द्वारा तत्काल कण्ट्रोल रूम को सूचना दी गयी और उसके द्वारा सेफ्टीकोन लगाकर शव को संरक्षित किया गया। इस सूचना पर यूपीडा की गश्ती टीम द्वारा मौके पर पहुँच कर कार्यवाही करते हुए थाना फतेहाबाद जनपद आगरा पुलिस को सूचना दी गयी और उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर आकर अन्य विधिक कार्यवाही सम्पन्न की गयी। इस लिए प्रकरण के संबंध में विस्तृत आख्या थाना फतेहाबाद, आगरा से प्राप्त किया जाना समीचीन होगा।

बिन्दु संख्या 02– इस विन्दु पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं हैं।

बिन्दु संख्या 03– आगरा लखनऊ एक्सप्रेस–वे पर घटित हुई दोनो घटनाओं में यूपीडा कर्मियों द्वारा सूचना प्राप्त होने पर तत्काल समय कार्यवाही की गयी है। क्योंकि माह जनवरी में घटित सूचना कार्यदायी संस्था RGBEL की टीम जो एक्सप्रेस–वे पर गश्त कर रही थी, के द्वारा प्रदान की गयी थी और उक्त टीम द्वारा तत्काल शव को सम्मान पूर्वक संरक्षित करते हुए कार्यवाही की गयी तदोपरान्त यूपीडा की टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर थाना स्थानीय फतेहाबाद को सूचना दी गयी और उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुँच कर अग्रेतर कार्यवाही सम्पन्न की गयी थी। इसके अतिरिक्त माह मार्च की घटना के संबंध में कण्ट्रोल रूम को सूचना प्राप्त होने पर यूपीडा टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुँच कर शव को संरक्षित करते हुए स्थानीय पुलिस को सूचित कर कार्यवाही सुनिश्चित करायी गयी है।

बिन्दु संख्या 04– यमुना एक्सप्रेस–वे का पर्यवेक्षण यूपीडा द्वारा नही किया जाता है अतः यमुना एक्सप्रेस–वे पर हुई घटनाओं के संबंध में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही प्रतीत होती है। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे पर दिनाँक 16.01.2024 एवं दिनाँक 04.03.3024 को जिन घटित घटनाओं का उल्लेख आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किया गया है, के संबंध में अवगत कराना है कि शीतकालीन रात्रि

के समय घना कोहरा होने के कारण रोड पर दृष्यता काफी कम होने के कारण जब कार्यदायी संस्था RGBEL का पेट्रोलिंग वाहन गश्त कर रहा था तो उसे निकट जाने पर एक शव दिखाई दिया तो उसने नजदीक जाकर देखा तो उक्त शव किसी महिला का था जिस पर उक्त कार्यदायी संस्था द्वारा तत्काल कण्ट्रोल रूम को सूचना दी गयी और उसके द्वारा सेफ्टीकोन लगाकर शव को संरक्षित किया गया। इस सूचना पर यूपीडा की गश्ती टीम द्वारा मौके पर पहुँच कर कार्यवाही करते हुए थाना फतेहाबाद जनपद आगरा पुलिस को सूचना दी गयी और उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर आकर अन्य विधिक कार्यवाही सम्पन्न की गयी। इसी प्रकार दिनाँक 04.03.2024 को घटित हुई घटना की जानकारी कण्ट्रोलरूम को प्राप्त होने पर यूपीडा टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुँच कर स्थानीय पुलिसको सूचना प्राप्त कराते हुए आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न करायी गयी थी। यूपीडा कर्मियों द्वारा दुर्घटना प्रबंधन एवं पेट्रोलिंग के दौरान नैतिकता एवं मानवता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है, एवं मृतकों के शरीर को सम्मान प्रदान करते हुए स्थानीय पुलिस के माध्यम से कार्यवाही सम्पन्न करायी जाती है तथा भविष्य में और अधिक ध्यान रखते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

बिन्दु संख्या 05– मा0 सुप्रीमकोर्ट के व अन्य संवैधानिक संस्थाओं के निर्देशों का सदैव पालन किया जाता हैं तथा भविष्य में भी विशेष ध्यान रखते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

बिन्दु संख्या 06

- आगरा लखनऊ एक्सप्रेस–वे पर यूजर्स को आपात सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु ATMS कन्ट्रोल रुम स्थापित है जिसके द्वारा दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् दुर्घटना प्रबन्धन एवं राहत कार्य हेतु पेट्रोलिंग टीमों, सेफ्टी टीमों, एम्बुलेंस, हाइड्रा रिकवरी आदि को तत्काल मौके पर भेजते हुए त्वरित दुर्घटना प्रबन्धन व राहत कार्य सम्पन्न कराये जाते है।
- कार्यवाही में देरी पर जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्यवाही किये जाने के प्राविधान और व्यवस्था विद्यमान है।
- दुर्घटना रोकथाम की दृष्टि से यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में जागरुकता हेतु पंम्पलेट का वितरण समय–समय पर कराया जाता हैं। आगरा एवं लखनऊ टोल प्लाजा पर लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम से उद्घोषणा कराते हुए यूजर्स को लगातार जागरुक करने की कार्यवाही की जाती हैं।
- आगरा लखनऊ एक्सप्रेस–वे में आपात संम्पर्क एवं सहायता प्राप्त करने के लिए 14449 पर सम्पर्क करनें हेतु जगह जगह पर्याप्त संकेतक बोर्ड लगाए गए है।
- आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे पर पेट्रोलिंग व निगरानी का कार्य पेट्रोलिंग टीमों के माध्यम से किया जा रहा हैं।

- सामाजिक सहभागिता, जागरूकता के माध्यम से ही बढ़ाया जाना संभव होगा। सहयोग प्रदान करने हेतु यूपीडा सदैव तत्पर हैं।

बिन्दु संख्या 07– आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे पर घटित घटना के संबंध में उल्लेखनीय है कि एक्सप्रेस–वे पर समस्त यूजर्स का पूर्ण सम्मान किया जाता है और उनके सम्मान को ही देखते हुए यूपीडा द्वारा यूजर्स की सहायता के लिए मूलभूत आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि शीतकालीन रात्रि के समय घना कोहरा होने के कारण रोड पर दृष्यता काफी कम होने के कारण जब कार्यदायी संस्था RGBEL का पेट्रोलिंग वाहन गश्त कर रहा था तो उसे निकट जाने पर एक शव दिखाई दिया तो उसने नजदीक जाकर देखा तो उक्त शव किसी महिला का था जिस पर उक्त कार्यदायी संस्था द्वारा तत्काल कण्ट्रोल रूम को सूचना दी गयी और उसके द्वारा सेफ्टीकोन लगाकर शव को संरक्षित किया गया। इस सूचना पर यूपीडा की गश्ती टीम द्वारा मौके पर पहुँच कर कार्यवाही करते हुए थाना फतेहाबाद जनपद आगरा पुलिस को सूचना दी गयी और उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर आकर अन्य विधिक कार्यवाही सम्पन्न की गयी। इस लिए प्रकरण के संबंध में विस्तृत आख्या थाना फतेहाबाद, आगरा से प्राप्त किया जाना समीचीन होगा। इसके अतिरिक्त माह मार्च की घटना के संबंध में कण्ट्रोल रूम को सूचना प्राप्त होने पर यूपीडा टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुँच कर शव को संरक्षित करते हुए स्थानीय पुलिस को सूचित कर कार्यवाही सुनिश्चित करायी गयी है।

बिन्दु संख्या 08– माह मार्च की घटना के संबंध में कण्ट्रोल रूम को सूचना प्राप्त होने पर यूपीडा टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुँच कर शव को संरक्षित करते हुए थाना स्थानीय पुलिस को सूचित कर कार्यवाही सुनिश्चित करायी गयी है।

बिन्दु संख्या 09– आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खुले कटों को रोड़ सेफ्टी एवं दुर्घटना रोकथाम की दृष्टि से बंद कराया गया था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कभी–कभी आकस्मिक आवश्यकताओं अथवा रोड़ की मरम्मत आदि के कार्यो को कराये जाने हेतु कटों को खोल कर कार्य करा लिया जाता हैं, और उसके पश्चात उक्त कटों को बन्द करा दिया जाता है।

बिन्दु संख्या 10– आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीडिंग एवं नींद के कारण दुर्घटना होने की बात प्रकाश में आ रही है। उल्लेखनीय है कि आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे पर प्रारम्भ से माह जुलाई 2024 तक 8,69,782 वाहनों का ओवर स्पीडिंग के अर्न्तगत ई–चालान के माध्यम से कार्यवाही की गयी है।

बिन्दु संख्या 11– आगरा लखनऊ एक्सप्रेस–वे पर होने वाली प्रत्येक दुर्घटना में यूपीडा के स्तर से तत्काल सहायता पहुंचाते हुए एम्बुलेंस से घायलों को संबंधित नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल उपचार हेतु भेजा जाता है एवं घटनास्थल पर दुर्घटना प्रबन्धन, राहत कार्य आदि कार्यवाही संपन्न करायी जाती है। दुर्घटना के संबंध में पंजीकरण आदि वैधानिक कार्यवाही संबंधित स्थानीय थाना पुलिस द्वारा संपन्न की जाती है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस–वे जनपद आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई, उन्नाव एवं लखनऊ की सीमा से होकर गुजरता है। ऐसी स्थिति में एक्सप्रेस–वे पर होने वाली दुर्घटनाओं का विवरण सम्बन्धित जनपद से प्राप्त किया जाना समीचीन होगा।

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे पर लगे ANPR सिस्टम से प्राप्त ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहनों का विवरण ATMS कंट्रोल रूम के माध्यम से API द्वारा NIC के सर्वर पर भेज दिया जाता है, फिर NIC के सर्वर द्वारा ये विवरण स्वतः ही ANPR सिस्टम से जुड़े जनपद आगरा, इटावा, कन्नौज और उन्नाव के RTO कार्यालय में भेजा जाता है। इसके बाद संबंधित RTO कार्यालयों द्वारा ई–चालान की प्रक्रिया पूरी की जाती है। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे पर अब तक हुए ई–चालान का विवरण (संबंधित RTO कार्यालय आगरा, इटावा, कन्नौज और उन्नाव से प्राप्त) निम्नानुसार है :–

Year	RTO Agra	RTO Etawah	RTO Kannauj	RTO Unnao	Total
	Challan Sent	Challan Sent	Challan Sent	Challan Sent	Challan Sent
Nov-20 to Dec 20	5166	6162	5791	24181	41300
2021	15394	34236	33136	92413	175179
2022	5891	36860	32286	73211	148248
2023	17495	69083	61071	228818	376467
2024 Till July	14902	15788	22934	74964	128588
Total	58848	162129	155218	493587	869782

बिन्दु संख्या 12– अवगत कराना है कि मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में CRRI नई दिल्ली से आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे के रोड सेफ्टी ऑडिट की कार्यवाही यूपीडा द्वारा आन्तरिक व्यवस्था हेतु करायी गयी हैं। आवेदक यदि उक्त रिर्पोट को प्राप्त करना चाहता है तो उसे नियमानुसार जन सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के तहत कार्यवाही कर प्राप्त किया जा सकता हैं।

आख्या अवलोकनार्थ सेवा में प्रेषित हैं।

(श्रीहरि प्रताप शाही)
आई0ए0एस0
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

समक्षः मा0 उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग
'मानव अधिकार भवन', टीसी 34 वी–1 विभूति
गेमती नगर, लखनऊ ईमेलः uphrclko@yahoo.co.in

वाद सं0 1585 (80) / 2024–2025 / REP

किशन चन्द जैन .....आवेदक

सन्दर्भः नोटिस दिनांकित 10.09.2024 – यूपीड़ा द्वारा ली जाने वाली पहल हेतु

महोदय,

सन्दर्भित नोटिस के क्रम में आवेदक सविनय निम्नवत निवेदन करता हैः–

1. **बिन्दु सं0 11**: प्रार्थी द्वारा अपने पूर्व पत्र में इस बिन्दु को उठाया था कि यूपीडा को एक जिम्मेदार रोड एजेन्सी के रूप में हादसों एवं ई–चालानों का सभी रिकॉर्ड रखना चाहिए ताकि वाहन चालकों के मध्य जागरूकता और संवेदनशीलता उत्पन्न की जा सके। यूपीडा द्वारा उपलब्ध कराये गये अपनी बिन्दुवार टिप्पणीं में जहां ई–चालानों का विवरण प्रस्तुत कर दिया गया किन्तु दुर्घटनाओं का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

   302 किलोमीटर लम्बे इस एक्सप्रेसवे पर लगभग प्रतिदिन सड़क हादसे हो रहे हैं जिसमें मानव जीवन असमय समाप्त हो रहा है और एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वाले घायल भी हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में यूपीड़ा को एक जिम्मेदार रोड एजेन्सी के रूप में सभी हादसों का विवरण एकत्र करना चाहिए और वह अपनी जिम्मेदारी को यह कहकर समाप्त नहीं कर सकते हैं कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जनपद आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरेया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई, उन्नाव एवं लखनऊ (10 जनपदों) की सीमा से होकर गुजरता है इसलिये इस पर होने वाली दुर्घटनाओं का विवरण सम्बन्धित जनपद से प्राप्त किया जाना चाहिए।

   इन सड़क हादसों में मानव जीवन को बचाने के लिए यह अति आवश्यक है कि इस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर होने वाले सड़क हादसों को हादसों का पूर्ण विवरण यूपीड़ा द्वारा एकत्रित किया जाये और उसे अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाये ताकि वाहन चालकों के मध्य संवेदनशीलता व जागरूकता उत्पन्न की जा सके। हादसों की स्थिति में एम्बूलेन्स भी भेजी जाती है जो कि यूपीड़ा अथवा उसके कौन्ट्रेक्टर द्वारा संचालित होती है। इन सभी हादसों के सम्बन्ध में यह भी जांच करना आवश्यक होगा कि हादसा किस कारण से हुआ ताकि भविष्य में इन कारणों से वाहन चालकों को आगाह किया जा सके।

   इस दृष्टि से मा0 आयोग से यह सविनय निवेदन होगा कि यूपीड़ा को यह निदेशित किया जाये कि वह इस एक्सप्रेसवे पर होने वाले सभी हादसों का विवरण संकलित करे एवं उन्हें अपनी वेबसाइट पर पारदर्शिता, जागरूकता और संवेदनशीलता की दृष्टि से अपलोड करे।

2. **स्पीड़ उल्लंघन के कुल मामले बनाम कुल चालानों की संख्याः**

   प्रार्थी द्वारा अपने पूर्व के पत्र की प्रार्थना सं0 3 में यह मांग की थी कि यूपीड़ा द्वारा यह बताया जाये कि प्रतिवर्ष कितने वाहनों ने गति सीमा का उल्लंघन किया और उसमें से कितने ही चालान प्रतिवर्ष हुये।

इस विषय को लेकर यूपीड़ा द्वारा यह अवगत नहीं कराया गया कि प्रतिवर्ष कितने वाहनों ने गति सीमा का उल्लंधन किया था। यह तथ्य इसलिये महत्वपूर्ण है कि काफी बड़ी संख्या में वाहन गति सीमा का उल्लंघन करते हैं लेकिन बहुत कम संख्या में वाहनों का चालान होता है।

अतः यूपीड़ा द्वारा यह बताया जाना चाहिए कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लगे ऑटोमेटिक नम्बर प्लेट रीडर (ए0एन0पी0आर0) सिस्टम से ओवर स्पीडिंग करने वाले कितने वाहन प्रतिवर्ष पाये गये ताकि ऐसे वाहनों के सम्बन्ध में कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में स्थिति को जाना जा सके जिनके चालान नहीं हुये यद्यपि उन्होंने गति सीमा का उल्लंघन किया। यदि मानव जीवन को बचाना है तो गति सीमा के उल्लंघन पर 100 फीसदी चालान करना होगा

<u>प्रार्थना</u>

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में आवेदक सविनय निम्न निवेदन करता हैः—

1. यूपीड़ा को यह निदेशित किया जाये कि वह 302 किलोमीटर लम्बे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर होने वाले सभी सड़क हादसों का विवरण प्रारम्भ से संकलित करे और उन्हें अपनी वेबसाइट पर पारदर्शिता, जागरूकता और संवेदनशीलता की दृष्टि से अपलोड करे जिसमें प्रत्येक हादसे का कारण भी स्पष्टतः अंकित हो तथा हादसों की उस कारण से पुनरावृत्ति को रोकने के लिए यूपीड़ा द्वारा की जाने वाली पहल का भी विवरण हो।

2. यूपीड़ा को यह भी निदेशित किया जाये कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लगे ऑटोमेटिक नम्बर प्लेट रीडर (ए0एन0पी0आर0) सिस्टम से प्रारम्भ से ओवर स्पीडिंग करने वाले कितने वाहन प्रतिवर्ष पाये गये उनका विवरण उपलब्ध कराये व अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करे ताकि ऐसे वाहनों के सम्बन्ध में कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में स्थिति को जाना जा सके जिनके चालान नहीं हुये यद्यपि उन्होंने गति सीमा का उल्लंघन किया। यदि मानव जीवन को बचाना है तो गति सीमा के उल्लंघन पर 100 फीसदी चालान करना होगा

किशन चन्द जैन
अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट
मोबाः 9412263072

दिनांक : 05.10.2024

समक्षः मा0 उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग
'मानव अधिकार भवन', टीसी 34 वी–1 विभूति
गेमती नगर, लखनऊ ईमेलः uphrclko@yahoo.co.in

वाद सं0 1585 (80)/2024–2025/REP

किशन चन्द जैन .....आवेदक

सन्दर्भः नोटिस दिनांकित 10.09.2024 – येड़ा द्वारा ली जाने वाली पहल हेतु

महोदय,

सन्दर्भित नोटिस के क्रम में आवेदक सविनय निम्नवत निवेदन करता हैः–

येड़ा द्वारा अपना कोई पक्ष या उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (येड़ा) द्वारा अभी अपना पक्ष आयोग के समक्ष नहीं रखा गया है यह उचित होगा कि येड़ा से भी उसकी प्रतिक्रिया/उत्तर मंगा लिया जाये क्योंकि मूल रूप से की गयी शिकायत दिनांकित 15.04.2024 के प्रस्तर सं0 1 में हुआ सड़क हादसा दिनांक 02.02.2024 का सम्बन्ध येड़ा से ही है जिसको बताना है कि किस प्रकार मानवाधिकारों का उल्लंघन उक्त हादसे में हुआ।

रोड एजेन्सियों द्वारा हादसों के सम्बन्ध में पुलिस प्रशासन के दायित्वों को भी इंगित किया जाता है अतः पुलिस प्रशासन ही सड़क पर होने वाले हादसों के सम्बन्ध में मूल शिकायत दिनांकित 15.04.2024 पर अपनी प्रतिक्रिया व जवाब प्रस्तुत करें।

प्रार्थना

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में आवेदक सविनय निम्न निवेदन करता है कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (येड़ा) के सम्बन्ध में भी आवेदक के द्वारा शिकायत की गयी थी जिसमें अभी तक कोई अपना उत्तर या प्रतिक्रिया मा0 आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है जिसको किये जाने हेतु आदेश पारित किया जाना उचित होगा।

पुलिस प्रशासन से भी मूल शिकायत पत्र दिनांकित 15.04.2024 पर प्रतिक्रिया व जवाब मंगाया जाना उचित होगा जिसके लिये आदेश पारित किये जाने का अनुरोध है।

किशन चन्द जैन
अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट
मोबाः 9412263072

दिनांक : 05.10.2024